

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/रॉंची/हजारीबाग
मुख्य अभियंता (यॉ०)/अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

रॉंची, दिनांक : 09.4.2013

विषय :- वित्तीय वर्ष 2013-14 के मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2701- मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-07-मध्यम सिंचाई परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

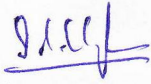
वित्तीय वर्ष 2013-14 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03 मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 07-मध्यम सिंचाई परियोजना	5187.650

कुल आवंटित राशि -

रुपये एक्यावन करोड़ सतासी लाख पैंसठ हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट उपबंध ₹ 8806.84 लाख (अठासी करोड़ छः लाख चौरासी हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि या अन्य दायित्व का भुगतान बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय।



(सुरेश प्रसाद भगत)
सहा. अभि.



(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)



(एस. के. सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)



(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव



6. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरत प्रत्यर्पण कर दिया जाय।
10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉंची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 फरवरी 2014 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साइट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 03

रॉंची, दिनांक :- 09.4.2013

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिन्, रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, रॉंची/डोरंडा/देवघर/दुमका/गुमला/साहेबगंज/गोड्डा/हजारीबाग/जमशेदपुर/चाईबासा/जामताड़ा/खूंटी/सिमडेगा/राजमहल/मधुपुर/पाकुड़ सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 03

रॉंची, दिनांक :- 09.4.2013

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉंची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहा. अभि.

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(एस. के. सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

परिशिष्ट I

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक
लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-07-मध्यम सिंचाई परियोजना
मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

पत्रांक 42 दिनांक 24.12 का अनुलग्नक

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष 2013-2014	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते		विस्तृत शीर्ष-02-यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय					विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय	राशि लाख रुपये में	
		वेतन	एल0टी0सी0		कार्यालय व्यय	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय			कुल योग	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	मुख्य अभि०, अग्रिम योजना, रॉन्ची	7.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	7.95	
2	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, देवघर	42.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	42.95	
3	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, रॉन्ची	59.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	59.95	
4	मुख्य अभि० यांत्रिक, रॉन्ची	12.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	12.95	
5	अग्रिम योजना अंचल दुमका	11.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	11.75	
6	अग्रिम योजना अंचल रॉन्ची	12.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	12.80	
7	जलपथ अंचल, गुमला	77.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	77.80	
8	जलपथ अंचल, चाईबासा	60.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	60.80	
9	जलपथ अंचल, दुमका	74.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	74.80	
10	जलपथ अंचल, रॉन्ची	126.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	126.80	
11	जलपथ अंचल, हजारीबाग	74.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	74.80	
12	रूपांकण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, रॉन्ची	93.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	93.80	
13	रूपांकण अंचल, देवघर	64.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	64.80	
14	सिंचाई अंचल, जसीडीह	31.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	31.80	
15	सिंचाई अंचल, जामताड़ा	56.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	56.80	
16	सिंचाई अंचल, मधुपुर	41.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	41.80	
17	सिंचाई अंचल, साहेबगंज	42.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	42.80	

9/12/14

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

अनुमोदित

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

24/12

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

24/12

(बी० सी० निगम)
विशेष सचिव

24/12

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2013-2014	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते		विस्तृत शीर्ष-02-यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय					विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय	राशि लाख रुपये में	
		वेतन	एल0टी0सी0		कार्यालय व्यय	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय			कुल योग	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	सिंचाई यांत्रिक अंचल, रॉंची	19.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	19.80	
19	अग्रिम योजना प्र० दुमका	19.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.40	
20	अग्रिम योजना प्र०, रॉंची	73.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	73.45	
21	अग्रिम योजना प्र० साहेबगंज	8.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	8.70	
22	आयोजन गुण नियंत्रण एवं मो० प्रमंडल, देवघर	115.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	115.75	
23	गंगा पम्प नहर प्रमंडल, साहेबगंज	134.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	134.45	
24	गुण नियंत्रण प्रमंडल, रॉंची	151.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	151.75	
25	जलपथ प्रमंडल, खुंटी	146.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	146.75	
26	जलपथ प्रमंडल, गुमला	142.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	142.45	
27	जलपथ प्रमंडल सं.-1, चक्रधरपुर	76.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	76.45	
28	जलपथ प्रमंडल सं.-2, चक्रधरपुर शिविर - चाईबासा	87.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	87.45	
29	जलपथ प्रमंडल सं.-1, जैनपुर शिविर गुमला	99.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	99.45	
30	जलपथ प्रमंडल सं.-2, जैनपुर गुमला	84.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	84.45	
31	जलपथ प्रमंडल सं.-1, सिमडेगा	135.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	135.75	
32	पुनर्वास पदाधिकारी, देवघर	54.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.40	
33	पुनर्वास पदाधिकारी, मध्यम सिंचाई परियोजना, रॉंची	53.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	53.70	
34	पुनासी बौध प्रमंडल, पुनासी शिविर-देवघर	166.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	166.75	

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(बी० सी० निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

03/04/2013

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष 2013-2014	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते		विस्तृत शीर्ष-02-यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय					विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय	राशि लाख रुपये में	
		वेतन	एल0टी0सी0		कार्यालय व्यय	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं रखरखाव	मोटरगाड़ियां		कुल योग	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
35	पुनासी स्पीलवे प्रमंडल, पुनासी देवघर	122.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	122.45		
36	रूपांकण प्रमंडल सं.-2, देवघर	55.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.40		
37	रूपांकण प्रमंडल सं.-4, देवघर	77.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.40		
38	रूपांकण प्रमंडल सं.-2, रौंछी	205.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	205.45		
39	लघु वितरणी प्रमंडल, कुलडंगाल	78.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	78.45		
40	विशेष भू-अर्जन पदा0, चाईबासा	86.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	86.75		
41	विशेष भू-अर्जन पदा0 तेनुघाट परियोजना , हजारिबाग	94.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	94.70		
42	विशेष भू-अर्जन पदा0, देवघर	79.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	79.70		
43	विशेष भू-अर्जन पदा0 मध्यम सिंचाई परियोजना, दुमका	75.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	75.70		
44	विशेष भू-अर्जन पदा0, रौंछी	172.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	172.75		
45	सचिव(प्रा0) मुख्य अभि0,ईचा गालूडीह, आदित्यपुर	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
46	सिंचाई प्रमंडल, कुंडहित	111.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	111.45		
47	सिंचाई प्रमंडल गोड्डा, शिविर-महगामा	100.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	100.45		
48	सिंचाई प्रमंडल, जसीडीह	152.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	152.75		
49	सिंचाई प्रमंडल, जामताड़ा	103.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	103.45		
50	सिंचाई प्रमंडल, दुमका	135.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	135.45		
51	सिंचाई प्रमंडल, देवघर	176.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	176.45		

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि0)

(वी० सी० निगम)
विशेष सचिव

(एस0 के0 शतपथी)
प्रधान सचिव

03/05/2013

W1

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष 2013-2014	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते		विस्तृत शीर्ष-02-यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय							विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय	राशि लाख रुपये में	
		वेतन	एल0टी0सी0		कार्यालय व्यय	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं	मोटरगाड़ियां			कुल योग	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
52	सिंचाई प्रमंडल, नाला	86.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	86.45			
53	सिंचाई प्रमंडल, पाकुड़	78.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	78.45			
54	सिंचाई प्रमंडल, बड़हरवा	93.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	93.45			
55	सिंचाई प्रमंडल, सिकटिया	91.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.40			
56	सिंचाई प्रमंडल, सं0-1, बरहेट	80.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	80.45			
57	सिंचाई प्रमंडल, सं0-2, जामताड़ा	66.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.40			
58	सिंचाई प्रमंडल सं.-2, सिकटिया	87.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	87.75			
59	सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, देवघर	128.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	128.75			
60	सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, रौंघी	177.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	177.75			
	आवंटन का योग	5150.00	0.00	11.80	12.90	0.00	2.35	0.00	0.00	10.60	0.00	5187.65			

नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विविध-14/2010-69/बजट दि० 11.02.13 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.10.2012 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से बिपत्रीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

कुल आवंटित राशि-

रुपये एक्यावन करोड़ सतासी लाख पैंसठ हजार मात्र

सहायक अभियंता

(सुरेश प्रसाद भगत)

(सुरेश साधन चौरसिया)

(सुबोध कुमार सिन्हा)

(बी० सी० निगम)

(एस0 के0 शतपथी)

सहायक अभियंता

उप सचिव (अभि०)

संयुक्त सचिव (अभि०)

विशेष सचिव

प्रधान सचिव

03/05/2013